वित्तीय स्वीकृति

संख्या-6/2017/498/18-2-2017-30(8)/2004

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2017

विषयः-जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डों के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर एकल मेज प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार बैठकों की सूचना, डाक व्यय, एजेण्डा नोट, कार्यवृत्त व संदर्भ प्रकरण के निमित्त व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 127.50 लाख (रूपये एक करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) स्वीकृत करते हुये उसे आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखने तथा नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-3 " लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-09-जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डो का कार्यान्वयन (जिला योजना)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।